



भारतीय रिजर्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग  
DEPARTMENT OF PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS  
केंद्रीय कार्यालय CENTRAL OFFICE  
मुंबई MUMBAI

प्राधिकार का प्रमाण पत्र CERTIFICATE OF AUTHORISATION  
सं. No. 101/2023

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और इस प्रमाणपत्र के पीछे दिए गए नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री) को भारत में 19 दिसंबर 2023 से 'ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर' के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

19 दिसंबर 2023 के दिन मुंबई में मेरे हस्ताक्षर द्वारा प्रदत्त।

(गुणवीर सिंह)  
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

In exercise of the powers conferred upon the Reserve Bank of India by Section 7 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, **Cashfree Payments India Private Limited (Cashfree)** is hereby granted Certificate of Authorisation to operate as an 'Online Payment Aggregator' in India with effect from **December 19, 2023** as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and subject to compliance with the terms and conditions given on the reverse of this Certificate.

Given under my hand at Mumbai on this 19<sup>th</sup> day of December 2023.

(Gunveer Singh)  
Chief General Manager-In-Charge



TRUE COPY ATTESTED  
  
B.M. CHANDRASHEKAP  
Advocate & Notary Public  
47, B.D.A. Complex, Koramangala  
BANGALORE - 560 034

पिछे पृष्ठ पर दिया गया प्राधिकार का प्रमाणपत्र निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन जारी किया जा रहा है:  
 The Certificate of Authorisation is being issued as overleaf subject to the following terms and conditions:

1.	प्राधिकार का प्रमाण पत्र या उसकी प्रमाणित प्रति भारत में कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री) (भुगतान प्रणाली परिचालक) के मुख्य परिसर और इसके अन्य कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी। The Certificate of Authorisation or a certified copy thereof shall be displayed at the main premises of Cashfree Payments India Private Limited (Cashfree) (Payment System Operator) and its other offices in India.
2.	प्राधिकार केवल ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण व्यवसाय के लिए है। कैशफ्री भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के प्रावधानों, उसके तहत जारी किए गए नियमों और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करेगा। The Authorisation is only for online Payment Aggregation business. Cashfree shall adhere to the provisions of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act), regulations issued thereunder, and the directions / guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.

